

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

"चयन भवन" मेन रोड नं.1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल- 462011

प्री-आयुर्वेद,होम्योपैथी यूनानी, नेचरोपेथी एवं योग टेस्ट (पी.ए.एच.यू.एन.टी.-2011)

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा सत्र 2011-2012 के लिये मध्यप्रदेश राज्य के शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद/ होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./ बी.यू.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण एवं कार्यक्रम निम्नानुसार है -

1. परीक्षा दिनांक : रविवार -07.08.2011 (प्रातः 10.00 बजे से 1.15 बजे तक)
2. परीक्षा शहर : भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर,।
3. शैक्षणिक अर्हता :

अ बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की 10+2 प्रणाली से 12वीं कक्षा की परीक्षा (अर्हता परीक्षा) में भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी विषय में प्रत्येक विषय में अलग-अलग उत्तीर्ण करते हुए संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनारक्षित प्रवर्ग के तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को प्राप्त करना अनिवार्य है। बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु उन उम्मीदवारों को प्रवेश की पात्रता होगी, जिन्होंने हायर सेकेण्ड्री 10+2 प्रणाली की 12वीं (अर्हता परीक्षा) में भौतिक, रसायन तथा बायोलॉजी विषय में प्रत्येक विषय अलग-अलग उत्तीर्ण करते हुये संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनारक्षित प्रवर्ग के तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को प्राप्त करना अनिवार्य है और वे ही पात्र होंगे। साथ ही अनिवार्य रूप से उर्दू विषय लेकर म.प्र. हायर सेकेण्ड्री परीक्षा या दसवीं बोर्ड से उत्तीर्ण की हो, अथवा उर्दू की ऐसी समकक्ष परीक्षा जो म.प्र. शासन/माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा उक्त परीक्षाओं के समकक्ष मान्य की गई हो। ऐसे सभी प्रवर्गों तथा संवर्गों के उम्मीदवारों को 10+2 अर्हक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

अथवा

मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड द्वारा बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समकक्ष या उच्च परीक्षा भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी विषय लेकर उत्तीर्ण की हो। विदेशी नागरिक यदि प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी पात्रता पर, संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा प्रदान किये गये समानता प्रमाण-पत्र और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होने के आधार पर ही विचार किया जायेगा।

ऐसे सभी प्रवर्गों तथा संवर्गों के उम्मीदवारों को समकक्ष अर्हक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

- ब. किसी भी ऐसे उम्मीदवार को आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी, जब तक वह 17 वर्ष की आयु का न हो चुका हो अथवा परीक्षा के वर्ष की 31 दिसम्बर को अथवा उसके पहले 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला न हो।
- स. शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये उम्मीदवार मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है किन्तु मध्यप्रदेश के निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का बंधन नहीं है। मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी पात्रता रखते हैं।

4. आवेदन पत्र की उपलब्धता : परीक्षा का आवेदन पत्र केवल ऑन लाईन www.vyapam.nic.in अथवा www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से दिनांक 15.06.2011 से 07.07.2011 तक भरा जा सकता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये रुपये 700/- एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी) के लिये रुपये 350/-का भुगतान क्रेडिट कार्ड से अथवा एम.पी. ऑन लाईन की वेबसाइट पर उपलब्ध अधिकृत "क्योस्क" धारक के माध्यम से नगद किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत "क्योस्क" को रुपये 50/- अतिरिक्त देय होंगे।
5. आवेदन पत्र केवल ऑन लाइन द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि – 07.07.2011.

नोट-

1. ओ.एम.आर. आवेदन पत्र भरते समय नियम पुस्तिका में उपलब्ध निर्देशों का पालन किया जाये, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है। परीक्षा का पूर्ण विवरण मंडल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in एवं नियम पुस्तिका में उपलब्ध है।
2. परीक्षा प्रवेश पत्र (T.A.C.) परीक्षा तिथि पूर्व मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मंडल द्वारा डाक से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

U

संचालक

म0प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
भोपाल

विज्ञापन कं 38/2011